सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या – 90 / 2016

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

नाथूलाल पुत्र देवालाल जाति भाट निवासी सावर तहसील केकडी वर्तमान तहसील सावर जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. महेश कुमार पुत्र सत्यनारायण सोनी जाति स्वर्णकार निवासी पटवा बाजार देवली जिला टोंक
3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र शिवराज सोनी जाति स्वर्णकार निवासी पटवा बाजार देवली टोंक
4. निकिल पुत्र महावीर जैन जाति महाजन निवासी धर्मशाला के पीछे, गोविन्द भवन के सामने देवली जिला टोंक

अप्रार्थीगण

5. हरिनारायण पुत्र देवालाल भाट निवासी सावर निवासी सावर तहसील केकडी जिला अजमेर

प्रफॉर्मा अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम व धारा 151जा.दी.

निर्णय

दिनांकः–13.6.2018

पत्रावली आज दिनांक 7.6.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कालेडा कंवर जी में पेश हुई। प्रार्थी / अप्रार्थी उपस्थित संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नक्शा दुरूस्ती के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम मोटालाव तहसील सावर जिला अजमेर की आराजीयात का विवरण जमाबन्दी स. 2041 के अनुसार खाता स. 65 खसरा नम्बर 83मि. रकबा 14–17–00, खाता स. 66 खसरा नम्बर 84मि. रकबा 11–19–00 मिलान क्षैत्रफल के अनुसार इन आराजीयात के गत खसरा नम्बर क्रमश 83मि., 84मि., 83मि., 83मि., 84 रकबा क्रमशः 0.17, 1.15, 0.42, 2.40, 1.94 वर्तमान खसरा नम्बर 353 / 1073,361 / 1074, 353, 361 , रकबा क्रमशः 0.17, 1.57, 2.40, 1.94, है। वर्किंग जमाबन्दी में प्रार्थी की साबिक आराजीयात खसरा नम्बर 83 रकबा 14–17–00बीघा व खसरानम्बर 84 रकबा 11–19–00 बीघा कुल रकबा 26–16–00बीघा व प्रार्थी के सह खातेदार प्रफॉर्मा प्रतिवादी की आराजीयात खसरानम्बर 83मि. रकबा 3–16–00बीघा व खसरा नम्बर 84 मि. 6–19–00बीघा कुल रकबा 10–15–00 बीघा थी। जिस पर हम दोनो सह खातेदार अपने अपने हिस्से की आराजीयात पर निर्विवाद काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी व प्रफोर्मा विपक्षी का साबिक रिकॉर्ड के अनुसार व वर्तमान मोका स्थिति के अनुसार दोनो के अलग– अलग खाते कायम कर दिये। लेकिन वर्तमान राजस्व मानचित्र में प्रफॉर्मा प्रतिवादी को जो मिलान क्षैत्रफल मं दो खसरा नम्बर 353 / 1073 , 361 / 1074 रकबा 1.74 है. किया गया है, उसमें वर्तमान राजस्व मानचित्र में मौका स्थिति में परिवर्तन कर तरमीम किया गया जो कि सरासर गलत है जो दुरूस्त योग्य है। वर्तमान राजस्व मानचित्र को दुरूस्त किया जाकर साबिक मानचित्र के अनुसार व मौके की कब्जा स्थिति के अनुसार नक्शा तरमीम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

हमने प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली में दिनांक 19.1.17 को तलबी हेतु दिनांक 22.6.16 से कई मौके दिये गये । रजिस्टर्ड तलबी की गयी ।पत्रावली में प्रतिवादीगण को जर्ये रजि.एडी. सेपूर्व दिनांक 28.4.2017 हेतु जारी है। जो बावजूद सूचना के उपस्थित नही है। लिहाजा 90 दिवस की अवधि पूर्ण होने पर भी हाजिर नही हुये। प्रतिवादी स. 2 से 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । पत्रावली में आज दिनांक 13.6.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कुशायता में जवाब पेरोकार पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम मोटालाव के आराजी खसरा नम्बर 361,353 रकबा क्रमशः 1.94,2.40 नाथूलाल पि. देवीलाल भाट सा.सावर व खसरा नम्बर 353/1073 रकबा 0.17,361/1074रकबा 1.57 जमाबन्दी में दर्ज है लेकिन राजस्व नक्शे में खसरानम्बर 353/1073 के स्थान पर 353 व 353 के स्थान पर 361/1074 की तरमीम कर दी गयी है। तहसीलदार सावर(पेरोकार सरकार)के जवाब व मौका रिपोर्ट एव नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 353 के स्थान पर 361/1074 व खसरा नम्बर 361/1074 के स्थान पर खसरा नम्बर 353 का अंकन किया जाना उचित बताया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। जवाब सरकार एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार नक्शे एवं पुराने नक्शे संवत 2022 में आकृति में भिन्नता पाई गई परन्तु रकबा समान होना पाया गया। जिससे वादी का वाद पत्र वादी के पक्ष में जाहिर होना नही होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नक्शा दुरूस्ती प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी के ग्राम मोटालाव के आराजी खसरा नम्बर 361,353 रकबा क्रमशः 1.94,2.40 नाथूलाल पि. देवीलाल भाट सा.सावर व खसरा नम्बर 353/1073 रकबा 0.17,361/1074रकबा 1.57 जमाबन्दी में दर्ज है लेकिन राजस्व नक्शे में खसरानम्बर 353/1073 के स्थान पर 353 व 353 के स्थान पर 361/1074 की तरमीम कर दी गयी है। जवाब सरकार व मौका रिपोर्ट एव नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 353 के स्थान पर 361/1074 व खसरा नम्बर 361/1074 के स्थान पर खसरा नम्बर 353 का अंकन किये जाने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय का अंकन करने से पूर्व यह जांच कर लेवे कि किसी भी न्यायालय का स्थगन या प्रकरण विचाराधीन इत्यादि न हो । पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.2018 पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी